पत्र संख्या–सी0/एल0एफ0(पी0)–48/13........../जे0,

बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

सेवा में,

महाधिवक्ता, बिहार,
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना दिनांक..................

विषय:- **विधि पदाधिकारियों, उनके सहायक अधिवक्ताओं एवं अपर लोक अभियोजकों के शुल्क विपत्रों के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहायक अधिवक्ताओं एवं अपर लोक अभियोजकों के लंबी अवधियों (यथा छ: माह से अधिक अवधियों) के अनेकों विपत्र एक साथ समेकित रूप में पारित करने हेतु प्राप्त हो रहे है, जबकि विधि विभागीय पत्रांक–4429 दिनांक–11.09.08 के कंडिका–(vi) में स्पष्ट निदेश है कि विपत्र प्रत्येक वर्ष में अधिकतम छ: माह के अंतराल पर निश्चित रूप से प्रतिहस्ताक्षरोपरांत पारित किये जाने के निमित्त महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से जाँच कर विधि विभाग, बिहार, पटना को भेजा जाय। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

अत: अनुरोध करना है कि:-

1. विधि विभागीय पत्रांक–4429 दिनांक–11.09.08 के कंडिका–(vi) का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
2. विधि पदाधिकारियों, उनके सहायक अधिवक्ताओं एवं अपर लोक अभियोजको से पूर्व की अवधियों के सभी लंबित विपत्रों को प्राप्त कर जाँच एवं प्रतिहस्ताक्षरोपरांत निश्चित रूप से दिनांक–31.03.2014 तक पारित करने हेतु भेज दिया जाय।
3. दिनांक–01.04.2014 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम छ: माह का ही विपत्र एक साथ समेकित रूप में पारितार्थ भेजा जाय।

कृपया उक्त विन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

इस पत्र को विधि विभाग, बिहार, पटना के वेबसासाईट **WWW.Law.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-संजय कुमार
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0–..................जे0, **पटना, दिनांक–........................**

प्रतिलिपि:- प्रधान अपर महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता–3, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना को (अनुलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-संजय कुमार
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0–......4484.....जे0, **पटना, दिनांक–....17/06/13.....**

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को (अनुलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.6.13
(संजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

E:\Mona1\GBT30.doc

पत्र संख्या-सी0/ई0एच0-079/99/...4429.../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

महाधिवक्ता, बिहार,
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना, दिनांक..../..../....

विषय:- कनीय अधिवक्ता की नियुक्ति के संदर्भ में नीति निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र सं0-6630जे0 दिनांक 19.2.0 द्वारा निर्धारित नीति के क्रम में सूचित करना है कि सरकार द्वारा विधि पदाधिकारियों के सहायतार्थ कनीय अधिवक्ता की नियुक्ति के निमित्त पुनः निम्नलिखित नीति निर्धारित किया गया है:-

(i) कनीय अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए विधि व्यवसाय का अनुभव कम-से-कम एक वर्ष का होना अनिवार्य है।

(ii) नियुक्ति के निमित्त अनुशंसा विधि पदाधिकारियों द्वारा ~~बिहार~~ विद्वान महाधिवक्ता के स्तर से प्राप्त होने पर ही मान्य होगी।

(iii) अनुशंसा पत्र के साथ संबंधित अधिवक्ता का स्वहस्ताक्षरित बायो-डाटा/पंजीकरण प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति भेजा जाना वांछित होगा।

(iv) विधि पदाधिकारियों द्वारा कनीय अधिवक्ता की नियुक्ति की अनुशंसा नियुक्ति की तिथि के साथ एक माह के अंदर ही निश्चित रूप से भेजी जाय।

(v) कनीय अधिवक्ता के शुल्क विपत्र पर उनके विधि पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर होना चाहिये।

(vi) कनीय अधिवक्ताओं का शुल्क विपत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष में छः माह के अंतराल पर निश्चित रूप से उनके विधि पदाधिकारी को समर्पित किया जाय जिसे विधि पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त पारित किए जाने के निमित्त महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से विधि विभाग को पारितार्थ भेजा जाय।

2. उक्त निर्धारित नीति का अनुपालन पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी समझा जायेगा।

विश्वासभाजन
ह0/-राजेन्द्र कुमार मिश्र
सरकार के सचिव, बिहार।

D:\Sec\Sec.doc

कृ0प0उ0

ज्ञाप सं0.......4429..../जे0, पटना, दिनांक....11.9.08

प्रतिलिपि:-सभी विधि पदाधिकारीगण, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-राजेन्द्र कुमार मिश्र
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0.......4429..../जे0, पटना, दिनांक..11.9.08

प्रतिलिपि:-सभी विभागीय पदाधिकारियों/सहायकों (विधि विभाग के लिए) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-राजेन्द्र कुमार मिश्र
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0.......4429..../जे0, पटना, दिनांक...11.9.08

प्रतिलिपि:-माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.9.08
(राजेन्द्र कुमार मिश्र)
सरकार के सचिव, बिहार।